भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 203
सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

देश में श्रमिकों की मृत्यु के मामले

203. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान खतरनाक उद्योगों और निर्माण क्षेत्रों सहित देश भर में श्रमिकों की मृत्यु की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्य-वार और उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान मृत श्रमिकों के परिवारों को संवितरित मुआवजे की कुल राशि का ब्यौरा क्या है और मुआवजे के कितने मामले अभी भी लंबित हैं; और
(घ) सरकार द्वारा कार्यस्थल की सुरक्षा और प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजे का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण हेतु उपबंध किए गए हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मुख्य कारखाना निरीक्षकों (सीआईएफ)/ औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालयों (डीआईएसएच) के माध्यम से लागू किया जाता है। सीआईएफ/डीआईएसएच को कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कारखाने के अधिभोगी और प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत घातक चोटों का ब्यौरा क्रमशः 1154, 1127, 1050, 988 और 1053 था।

सन्निर्माण क्षेत्र के मामले में, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों में सन्निर्माण कामगारों के कल्याण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय निर्धारित किए गए हैं।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में, अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार से उत्पन्न या रोजगार के दौरान होने वाली चोट और दुर्घटना के परिणामस्वरूप निःशक्तता या मृत्यु होने पर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को प्रतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

*****